<u>न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद, हाथरस।</u>

परिवाद संख्या- 146/2016

प्रदीप कुमार **बनाम** राहुल भारती।

थाना- सहपऊ, **जनपद**- हाथरस।

<u>आदेश</u>

<u>दिनांक- 11.08.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी उपस्थित। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि पत्रावली वास्ते अभियुक्त की हाजिरी हेतु नियत है। परन्तु आज न्यायालय में परिवादी द्वारा उपस्थित होकर आदेशपत्रक पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि उसे उक्त परिवाद पर अब कोई बल नहीं देना है। स्पष्ट है कि परिवादी उक्त परिवाद पर बल देना नहीं चहाता है और न ही परिवादी उक्त वाद की पैरवी करना चाहता है। उक्त परिवाद में बिना गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय लेते हुए परिवादी का परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नेपाल सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद,
हाथरस।
जे०ओ०कोड यू०पी० 3738

Digitally signed by NEPAL SINGH
Date: 2026.08.19 16:24:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court